मजदूर-किसान संघर्ष रैली

सी.आई.टी.यू.–ए.आई.के.एस.–ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू.

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

सीमेंट उद्योग खुशहाल! सीमेंट मजदूर बदहाल!

मजबूत और स्वस्थ आधारभूत ढ़ाँचा स्थापित करने के लिए सीमेंट बुनियादी तत्वों में से एक है। एक कर्मचारी के लिए एक छोटा घर हो या एक विशाल बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमारे देश में सीमेंट का निर्माण लगभग 130 साल पहले 1889 में शुरू हुआ था।

सार्वजनिक क्षेत्र का सीमेंट उद्योग हमले की जद में

सीमेंट पहले एक नियंत्रित वस्तु था। सार्वजनिक क्षेत्र का 'सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई)' सीमेंट के निर्माण में प्रमुख था। 1982 में सीमेंट से नियंत्रण समाप्त करना शुरू किया गया था। उद्योग को 1989 में पूरी तरह से नियंत्रित मुक्त कर दिया गया था। इसे 1991 में लाइसेंसिंग के दायरे से हटा दिया गया था। 1991 में नवउदार नीतियों के आधिकारिक आगमन के साथ, सरकार ने सीमेंट कारोबार से हटना शुरू कर दिया। सीसीआई के 10 संयत्रों में से 6 – मंडर, कुर्कुटा, नयागांव, अकलतारा, चरखी दादरी और बठिंडा की पीसने वाली इकाइयों को कांग्रेसनीत यूपीए–2 सरकार के दौरान 2008 में बंद कर दिया गया था। भाजपानीत मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, आदिलाबाद की इकाई को 2017 में बंद कर दिया गया था। वर्तमान में केवल 3 संयंत्र चालू हैं। 2016–17 में सीसीआई ने 42.33 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, हालांकि यह पिछले साल के 53.51 करोड़ रुपये से कम हो गया था। लेकिन नीति आयोग ने इनके पुनरुद्धार का कोई भी प्रयास किए बिना ही 7 बंद संयंत्रों में से 5 के विनिवेश का निर्देश दिया।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में देश में बड़े सीमेंट संयंत्रों की कुल संख्या 230 है। कुल स्थापित क्षमता का 97% इनके खाते में है। इन बड़े सीमेंट संयंत्रों में से 100 से अधिक मेगा संयंत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित हैं जहाँ मूल कच्चा माल, चूने का पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है। सीमेंट को इन संयत्रों से दूसरे राज्यों में ले जाना होता है, जिसका अर्थ है भारी परिवहन लागत आना। परिवहन की इस लागत को कम करने के लिए, थर्मल पावर इकाइयों और इस्पात संयंत्रों के नजदीक क्षेत्रों में पीसने वाली इकाइयां स्थापित की गई हैं, जहाँ अन्य कच्चे माल, फ्लाई ऐश या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आसानी से उपलब्ध है। मेगा संयंत्रों के मध्यवर्ती उत्पाद, 'खंजड (क्लिंकर)' को सीमेंट बनाने के लिए इन पीसने वाली इकाइयों में ले जाया जाता है। इस प्रकार, वर्तमान में देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर ने देश में सीमेंट की माँग और तदनुसार उत्पादन को तेज कर दिया है। मार्च 2017 तक भारत में प्रति वर्ष 42 करोड़ टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता थी। दुनिया के सीमेंट उत्पादन के 6.8% के साथ, भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आवास क्षेत्र हमारे देश में कुल खपत के 67% के साथ, सीमेंट की माँग का सबसे बड़ा चालक है। इसके बाद आधारभूत संरचना (13%), वाणिज्यिक निर्माण (11%) और औद्योगिक निर्माण (9%) है। सीमेन्ट उद्योग 8% की अच्छी–खासी दर से बढ़ने की स्थिति में है।

निजी क्षेत्र का एकाधिकार

वर्तमान में, हमारे देश में सीमेंट उद्योग पर कुछ निजी सीमेंट कंपनियों का प्रभुत्व है। नवउदारवादी शासन सीमेंट निर्माण उद्योग पर ने निजी सीमेंट निर्माण महाकाय कम्पनियों के एकाधिकार का रास्ता तैयार किया है। आज, निजी निर्माता ऐसी नीतियों के लिए सरकार को लगभग निर्देशित कर रहे हैं जो उनके लिए भारी मुनाफा कमाने में सहायक हों। शीर्ष 10 सीमेंट कंपनियों में अल्ट्रा टेक सीमेंट (आदित्य बिड़ला समूह), श्री सीमेंट (बांगुर समूह), अंबुजा सीमेंट (होलसीम, स्विट्जरलैंड), एसीसी (अब होल्सीम का ही हिस्सा), रामको सीमेंट (रामको समूह), प्रिज्म सीमेंट्स (राजन रहेजा समूह), डालमिया सीमेंट्स (डालमिया समूह), जेके लक्ष्मी सीमेंट (जेके संगठन), ओरिएंट सीमेंट (सीके बिड़ला समूह) और बिड़ला निगम (एमपी बिड़ला समूह) हैं। सीमेंट की बढ़ती माँग के चलते, देश में जिप्सम और सीमेंट उत्पादों के क्षेत्र ने अप्रैल 2000 और सितंबर 2016 के बीच 300 करोड़ अमरीकी डालर के विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया है।

मिनी सीमेंट संयंत्र और मजदूरों की दुर्दशा

बड़े संयंत्रों के अलावा, देश भर में फैले सैकड़ों मिनी सीमेंट संयंत्र हैं। 1982 के पंचाट निर्णय के अनुसार 66,000 टन प्रति वर्ष तक की क्षमता वाली सीमेंट उत्पादन इकाई को 'मिनी सीमेंट प्लांट' के रूप में परिभाषित किया जाता है। असल में ये सभी पीसने वाली इकाइयाँ हैं जो एकीकृत सीमेंट संयंत्रों से खंजड़ (क्लिंकर) प्राप्त करती हैं। आज, 365 मिनी सीमेंट संयंत्र हैं, प्रत्येक 30–50 मजदूरों को रोजगार देता है।

उद्योग में रोजगार

सीमेंट उद्योग अत्यधिक श्रम सघन है। थर्मल पावर प्लांट्स से फ्लाई ऐश के संग्रह में, कैल्शियम रेत या गोलों के संग्रह में, चूने के पत्थर की खदानों में, चूने के पत्थर की खदानों से कारखानों तक चूने के पत्थर के परिवहन में, इस्पात संयंत्रों से फर्नेस स्लैग एकत्र करने में, मिट्टी की खुदाई में और इन कच्चे मालों के कारखानों के लिए परिवहन में, सीमेंट कारखानों में आदि हजारों मजदूरों को लगाया जाता है। कोयले को चढ़ाने–उतारने के लिए, पीसने वाली इकाइयों के लिए खंजड़ों और अन्य सामग्री के परिवहन के लिए और अंततः अंतिम उत्पाद, सीमेंट को खपत बिंदुओं तक परिवहन में आदि में बड़ी संख्या में मजदूरों को सीधे या ठेकेदारों के माध्यम से, लगाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार सीमेंट उद्योग में लगभग 10 लाख से अधिक मजदूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हैं।

जी हाँ, उद्योग पर्याप्त रोजगार तो पैदा करता है। लेकिन इस क्षेत्र में लगे मजदूरों की क्या स्थिति है?

रोजगार का क्रूर चेहरा

देश में तात्कालिक प्रचलित स्थिति के विपरीत उद्योग ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को ठेके का रोजगार न देने का फैसला किया। वास्तव में, ठेका मजदूरी को समाप्त करने की नीति को अपनाने वाला सीमेंट उद्योग देश में पहला था। 1960 के दशक में, पहले वेतन बोर्ड ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया, जिसमें केवल सीमेन्ट को चढ़ाने, पैकिंग और कोयले को उतारने में ही ठेका मजदूरों की भागीदारी की इजाजत दी गई। यह देश में 1970 में ठेका श्रमिक (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम बनने से काफी पहले था। अन्य व्यवसायों में नियोजित किसी भी ठेके के कर्मचारी को संबंधित नियोक्ता के विभागीय कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाना था और उसे नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस का भुगतान और अन्य भत्तों का भुगतान करना था ।

लोडिंग (पैकिंग समेत) और अनलोडिंग ऑपरेशन आदि स्वीकृत व्यवसायों में नियोजित सभी ठेका मजदूरों को भी कंपनी के नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन, डीए, बोनस और अन्य भत्ते देने पड़ते थे।

हालांकि, यह इस तथ्य के बावजूद कि सीमेंट कंपनियां इस समझौते से बाध्य थीं, फिर भी चलन में इसको अपनाया ही नहीं गया बल्कि अवहेलना ही की गयी। नवउदारवादी नीतियों के आगमन के साथ स्थिति और भी बदतर हो गई है। इन नीतियों को अपनाने के बाद से स्थापित संयत्रों में ठेका मजदूरी का रोजगार प्रचलित हो गया है। आज, उद्योग में कार्यरत कुल मजदूरों का शायद 25–30% ही स्थायी कर्मचारी हैं; बाकी सभी ठेका मजदूर हैं। पूरे संयंत्र के संचालन की आउटसोर्सिंग की प्रणाली भी कई संयंत्रों में चालू है।

मिनी सीमेंट संयंत्रों में मजदूरों की स्थिति दयनीय है। उन्हें मामूली वेतन का ही भुगतान किया जाता है और सेवा की अमानवीय स्थितियों में रखा जाता है। उन्हें पीएफ, ईएसआई, ग्रैच्युइटी इत्यादि जैसे वैधानिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं। उनके लिए न्यूनतम् वेतन अधिसूचित नहीं है। सरकार के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में सीटू और उसके प्रतिनिधि द्वारा लगातार उठाने के बावजूद, अभी तक भी अनुसूचित रोजगार में उन्हें शामिल करने की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मिनी सीमेंट संयंत्रों में मजदूरों को संगठित और ट्रेड यूनियन आंदोलन को सुदृढ़ करके और अधिक दबाव बनाने की आवश्यकता है।

उद्योग में राष्ट्रीय त्रि–पक्षीय वेतन समझौते

विवादों के राष्ट्रीय स्तर के निपटारे का उद्योग में छह दशकों का इतिहास है। शुरुआत में, वेज बोर्ड स्थापित किए गए थे। फिर राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र स्थापित किया गया था। 1989 में तीसरी मध्यस्थता की विफलता के बाद, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच राष्ट्रीय स्तर के त्रिपक्षीय समझौते की व्यवस्था शुरू की गई। यह आज तक जारी है। लेकिन ये समझौते केवल स्थायी मजदूरों तक ही सीमित हैं। ठेका मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि और कई संयत्रों में पूरे संयंत्र के संचालन की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था होने के कारण, राष्ट्रीय वेतन समझौते एक मजाक बन गए हैं।

ठेका मजदूरों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में, उद्योग में चल रही मजदूरी वार्ता में सीटू और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की माँग पर जोर दिया जा रहा है। सीटू और अन्य सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन की माँग की है, जिसमें स्थायी मजदूरों के समान कार्य करने वाले ठेका मजदूरों को समान वेतन और लाभ देने के लिए कहा गया है। ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के अनुसार उद्योग में न्यूनतम् वेतन जिसके लिए मजदूर हकदार हैं, के भुगतान की माँग, पर भी ट्रेड यूनियनों द्वारा जोर दिया जा रहा है।

सीमेंट मजदूरों की इन जायज माँगों को प्राप्त करने के लिए, देशव्यापी संयुक्त आंदोलन को मजबूत और विकसित बनाना आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग आदि, नवउदारवादी एजेंडा की एक विशेषता है, जिसे भाजपा, कांग्रेस या गैर–वामपंथी दलों के गठबंधन के नेतृत्व वाली, केंद्र में आने वाली सरकारें लगातार चलाती रही हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन जायज माँगों को हासिल करने के संघर्ष को नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ भी लक्षित किया जाए।

5 सितंबर को संसद के समक्ष 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' ''समान कार्य के लिए समान वेतन'' की माँग पर जोर देने के लिए है। यह नवउदारवादी व्यवस्था को उलटने के लिए है जो मजदूरों में प्रचलित ठेकाकरण और उनके शोषण को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, यह सीमेंट मजदूरों का संघर्ष है।

एकजुट हों! संघर्ष करो!

- *0.01 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकारों के विरुद्ध*
- *99.9 प्रतिशत के फायदे की नीतियों के लिए*